समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन नo 0612–2219545 (काo)
फैक्स नo–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

27-09-2013

आवेदक **श्री नवल किशोर**, पिता–श्री आशबिहारी सिंह, साo–35, आदर्श कॉलोनी, एसoकेo नगर, थाना–बुद्धा कॉलोनी, जिला–पटना, स्थायी पता–साo+पोo–मानी, थाना–बिक्रमगंज, जिला–रोहतास से प्राप्त एक डीoबीoबीoएलo गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–318/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–27.09.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–27.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे रोहतास जिला के मूल निवासी हैं। वे सिविल कोर्ट, पटना में अधिवक्ता हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1098/गोo, दिनांक–26.05.2010 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र की जाँच संबंधित पदाधिकारियों से करायी गयी। जाँचोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसे मूल में संलग्न कर भेजा गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के स्थायी पते पर सत्यापन के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाय। पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलोनी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, बिक्रमगंज, रोहतास द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र का जाँच किया गया, जाँचोपरान्त आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं घर का पता सही है। आवेदक के विरूद्ध बिक्रमगंज थाना अभिलेख में कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। तदोपरान्त जाँच प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक–227/शo, डिहरी, दिo–01.07.2012 द्वारा थानाध्यक्ष, बिक्रमगंज, रोहतास के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलोनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक सिविल कोर्ट, पटना में अधिवक्ता हैं। आवेदक के पिता की अनुज्ञप्ति पर धारित एक डीoबीoबीo–एलo गन संo–11315/8588 प्राप्त है, जिसे अपने नाम करना चाहते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा।

अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त0 प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री नवल किशोर, पिता–श्री आशबिहारी सिंह, सा0–35, आदर्श कॉलोनी, एस0के0 नगर, थाना–बुद्धा कॉलोनी, जिला–पटना, स्थायी पता–सा0+पो0–मानी, थाना–बिक्रमगंज, जिला–रोहतास के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।